



दिनांक: 07-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास एवं SC/ST Act के 01 वांछित

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.05.23 को थाना नकुड पर पंजीकृत मु0अ0स0 94/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त सागर पुत्र तिरसपाल निवासी ग्राम इस्सोपुर थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0 सागर ने पूछने पर बताया कि मैंने B.COM कर रखी है। मेरे साथी साजिल के साथ गाँव रामगढ़ के रहने वाले पंकज पुत्र कंवरपाल का कुछ रूपयो लेन-देन था जिसको लेकर दिनांक 13.03.23 को मेरे साथी साजिल ने मुझको व शौएब उर्फ घोडा पुत्र इन्तयास निवासी ग्राम तिगरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर को अजब सिंह पुत्र हरिराम नि0 रामगढ़ के खेत पर बुलवाया था। इसके बाद साजिल ने पंकज पुत्र कंवरपाल को फोन कर अजब सिंह पुत्र हरिराम के खेत पर हिसाब किताब करने बुलवाया था, लेकिन वहाँ पर हमारा व पंकज और उसके साथियों का झगड़ा हो गया था तो साजिल ने अपने हाथ में लिए तमंचे से पंकज पर फायर कर दिया था। गोली चलने की वजह से हम लोग मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सागर पुत्र तिरसपाल निवासी ग्राम इस्सोपुर थाना कैराना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 2197 विपिन थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 2179 पवन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर



दिनांक- 07-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के अपहरण के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0-122/2023 धारा- 363/366आईपीसी के वांछित अभियुक्त अंकुश कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 किशनपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को किशनपुर थाना हरिद्वार से गिरफ्तार कर पीडिता/अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकुश कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 किशनपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री बनवारी सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
5. म0का0 825 वकीला थाना कोतवाली बेहट जिला जनपद सहारनपुर



दिनांक- 07-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा विधुत मोटर चोरी की घटना मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री दीपक कुमार द्वारा मय हमराही फोर्स के अभियुक्त नौशाद पुत्र नूरहसन निवासी नाजिम कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर मोटर का तांबे का तार, 01 कुदाला, 01 लोहे की छोटी रोड, 01 पाना, 02 चाबी, 03 पेचकस व 02 प्लास बरामद हुये। बरामदा विधुत मोटर का तांबे का तार थाना सरसावा के मु०अ०सं० 13/2023, धारा 379/411/414 आईपीसी व मु०अ०सं० 71/2023 धारा 379/411/414/427 आईपीसी से सम्बन्धित है। अभियुक्त को समय से मा०न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह अनपढ है। कोई काम धंधा नहीं करता। नशे का आदी है। उम्र करीब 44 वर्ष है। अपने खर्चों के लिये रात्रि में खेतों से मोटर चोरी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नौशाद पुत्र नूरहसन निवासी नाजिम कालोनी कस्बा व थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

मोटर का तांबे का तार

01 कुदाला

01 लोहे की छोटी रोड

01 पाना

02 चाबी

03 पेचकस

02 प्लास

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1.मु०अ०सं० 013/2023 धारा 379,411,414 भादवि थाना सरसावा स०पुर

2.मु०अ०सं० 071/2023 धारा 379/411/414/427 भादवि थाना सरसावा स०पुर

3.मु०अ०सं० 098/2016 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली देहात स०पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.उ०नि० श्री दीपक कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2.हे०कां० 952 सोनू कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3.हे०कां० 886 रोहित कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



प्रेस नोट दिनांक-07.05.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा घर से हौजरी का समान चोरी करने का प्रयास करने वाले 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जन सहयोग से दिनांक 06.05.23 को 01 अभियुक्त शाहरुख पुत्र शहजाद निवासी स्मार्ट कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष को समय करीब – 23.15 बजे वादी के घर मौ० ख्वाजा अहमद सराय चौक जोगियान से हौजरी का समान चोरी करने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 83/23 धारा 380/511 भादवि बनाम शाहरुख पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त शाहरुख पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला समार्ट कालोनी बेहट रोड रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि साहब मैं अनपढ़ हूँ और नशे का आदी हूँ। चोरी करके अपने नशे का सामान खरीद लेता हूँ। मैं सामान चोरी करने की तलाश में घूम रहा था चौक जोगियान में होजरी की दुकान में ताला नहीं लगा था तो मैं अन्दर घुस गया था और लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शाहरुख पुत्र शहजाद निवासी स्मार्ट कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 104/21 धारा 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 109/21 धारा 8/15 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 462/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 83/23 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० अवशेष भाटी थाना को०नगर सहारनपुर
2. है०का० 299 गुलजारी सिंह को०नगर सहारनपुर



दिनांक:07-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 किलोग्राम नशीला पदार्थ डोडा चूर्ण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्ष श्री प्रभाकर कैन्तुरा के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.05.23 को 01 अभियुक्त साकिर पुत्र कामिल निवासी ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को 12 किलोग्राम नशीला पदार्थ डोडा चूर्ण सहित बलकार होटल से रन्धेडी ग्राम बोर्डर की तरफ जाने वाली रोड पर कस्बा व थाना गंगोह से गिरफ्तार किया गया। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/2023 धारा 8/15 NDPS Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- साकिर पुत्र कामिल निवासी ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि मैं पैसों के लालच में, होटल पर रुकने वाले ट्रक ड्राइवरो को नशीला पदार्थ डोडा चूर्ण बेचने के लिये आया था। अभी थोडा सा डोडा चूर्ण बेचा था कि आपने मुझे पकड लिया। मैं पहले भी चोरी करने व शराब बेचने के अपराध में जेल जा चुका हूँ। मैं पैसों के लालच में यह सब करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साकिर पुत्र कामिल निवासी ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 किलोग्राम नशीला पदार्थ डोडा चूर्ण बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. हे0कां0 1054 विकास कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. कां0 1059 अनुज राणा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 314/15 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर
- 2.मु0अ0सं0 190/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.मु0अ0सं0 252/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 4.मु0अ0सं0 655/20 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 5.मु0अ0सं0 232/15 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
- 6.मु0अ0सं0 235/15 धारा 102/41 द0प्र0सं0, 411/414 थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
- 7.मु0अ0सं0 210/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना ननौता जिला सहारनपुर
- 8.मु0अ0सं0 121/13 धारा 392/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 9.मु0अ0सं0 133/13 धारा 307 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 10.मु0अ0सं0 134/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 11.मु0अ0सं0 300/13 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर
- 12.मु0अ0सं0 135/13 धारा 60/72 Ex Act थाना तीतरो जिला सहारनपुर



दिनांक: 07-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.05.23 को थाना बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे वारण्टी अभियुक्त (1) अनिल पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्राम रूहालकी थाना बेहट जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0-1630/22 धारा 125(3) सीआरपीसी को ग्राम रूहालकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-

1. अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्राम रूहालकी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रेमराज सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 341 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा नगर निकाय चुनाव- 2023 में फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 01 और वांछित अभियुक्त के किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 32 फर्जी आधार कार्ड बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 02/05/23 को थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण (1) शाहजमान S/O मौ0 शकील नि0 किला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (2) सुभान पुत्र एजाज खान निवासी मटकोटा को फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए देवबन्द डाकखाने के पास स्थित इण्डियन फार्म सैन्टर दुकान से गिरफ्तार किया गया । जिनके विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-267/23 धारा 420/467/468 भा.द.वि का अभियोग पंजीकृत था । अभियुक्त आसिफ उपरोक्त लगातार उक्त अभियोग में लगातार वांछित चल रहा था । इण्डियन फार्म सैन्टर दुकान का मालिक आसिफ है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0-267/23 धारा 420/467/468 भा.द.वि के वांछित अभियुक्त आसिफ पुत्र वाजिद निवासी मौहल्ला मटकोटा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को भायला रोड़ नाले की पुलिया के पास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया । जिससे 32 अदद फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुए । अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर अमल में लायी जा रही है ।

अभियुक्त आसिफ ने पूछताछ करने पर बताया कि फर्जी आधार कार्ड उससे भूरा नाम के व्यक्ति ने तैयार कराए थे । यह आधार कार्ड भूरा ने नगर निकाय चुनाव में फर्जी वोट डलवाने के लिए बनवाए थे । सारे आधार कार्ड नकली है जिन्हे मैने अपने साथी सुभान व शहजमान के द्वारा कम्प्यूटर से फोटोशाप साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किये थे ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र वाजिद निवासी मौहल्ला मटकोटा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

32 फर्जी आधार कार्ड

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम -

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 3- कम्प्यूटर आपरेटर नीरज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 4- कां0 1215 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 7- कां0 2059 रज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07/05/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 टूल्स पम्प, 01 दोहरा तार 1mm, 01 लोहे का चैम्बर बरामद

➤ **02 अभियुक्त गिरफ्तार**

➤ **01 टूल्स पम्प, 01 दोहरा तार 1mm, 01 लोहे का चैम्बर**

अवगत कराना है कि दिनांक 07.05.2023 को वादी श्री निखिल शर्मा पुत्र बिशनदार निवासी अर्जुन नगर, थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार सहारनपुर पर मु0अ0स0 192/23 धारा 380 भादवि बाबत ज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के निर्माणाधिन मकान से एक मोटर पम्प, एक तार 1 एमएम बिलजी का व लोहे का चैम्बर चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के अनवारण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 सदर बाजार श्री प्रमोद गौतम के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त चोरी करने वाले अभियुक्तगण 1. रितिक पुत्र अनिल निवासी ताहारपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, 2. अभिषेक पुत्र अरविन्द निवासी ताहारपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को दिनांक 07.05.2023 को चोरी गये एक मोटर पम्प, एक तार 1 एमएम बिलजी का व लोहे का चैम्बर सहित काशीराम कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण..

अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया कि साहब हम स्मैक व शराब पीने के आदि हैं और पैसों की जरूरत पूरी करने के लिये चोरी आदि कर लेते हैं। अभि. अभिषेक द्वारा बताया कि साहब मैं चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका हूँ। और आज जो चोरी का सामान हमारे पास से बरामद हुआ है यह हम दोनों ने ही चुराया था और इसे बेचकर जो पैसे मिलते हम उससे नशे आदि की जरूरत पूरी करते।

अभियुक्त का नाम पता:-

1. रितिक पुत्र अनिल निवासी ताहारपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. अभिषेक पुत्र अरविन्द निवासी ताहारपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 टूल्स पम्प, 01 दोहरा तार 1mm, 01 लोहे का चैम्बर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुनील नागर (चौकी प्रभारी हसनपुर) थाना सदर बाजार, स0पुर।
2. है0का0 574 अश्वनी थाना सदर बाजार, स0पुर।
3. का0 2012 आवेश कुमार थाना सदर बाजार, स0पुर।

4. का0 215 सुमित कुमार थाना सदर बाजार, स0पुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

रितिक पुत्र अनिल निवासी ताहारपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

1. मु0अ0स0 192/23 धारा 380/411/414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

अभिषेक पुत्र अरविन्द निवासी ताहारपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

1- मु0अ0स0 111/23 धारा 34/380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

2- मु0अ0स0 192/23 धारा 380/411/414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 07/05/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियो/वांछितो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी के मु0अ0सं0 97/23 धारा 354क/354घ/323/506 भा.द.वि. व 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट में नामजद **अभियुक्त विजय सैनी पुत्र राकेश निवासी हरौडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को जनकपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजय सैनी पुत्र राकेश निवासी हरौडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- ❖ उ0नि0 इन्द्रसैन, थाना जनकपुरी स0पुर।
- ❖ है0का0 199 प्रवीण कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।